

**राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश**

संख्या-38/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/मानदेय वृद्धि/2018-19/8613-13
दिनांक: 16/11/2018

कार्यालय - ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में दाखिल रिट याचिका संख्या-22529/2018 (एस0/बी0) डा0 राम सुरेश राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 08.08.2018 को निर्गत आदेश के मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

"In view of above, we permit petitioners to make a fresh representation to the competent authority of the State government within a fortnight from today taking all the pleas, which may be available to them annexing therewith all the documents on which they intend to rely, In case, any such representation along with the certified copy of this order is furnished, competent authority of the state government shall take the decision into the grievances of the petitioners taking into account the aforementioned order of Hon'ble Supreme court and also the provisions contained under the scheme of the national Health Mission, The said decision shall be taken with expedition, say within a period of ten weeks from the date of production of certified copy of this order."

2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2018 प्रस्तुत किया गया, जोकि इस कार्यालय में दिनांक 21.08.2018 को प्राप्त है।
3. प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2018 से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों की वेतन विसंगति दूर करते हुये संविदा एलोपैथिक (एम0बी0बी0एस0) चिकित्सकों के समान ही मानदेय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।
4. प्रार्थीगण द्वारा उक्त संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-026625/2017 व डायरी सं0 24933/2017 में डा0 पीयूष अवस्थी एवं 01 अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 03.10.2017 को निर्गत आदेश के मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

"If that be so, we make it clear that it will be open to the petitioners to approach the State Government for enhancement of honorarium, in which case, it will be open to the State Government to consider the representation and the impugned judgment shall not stand in the way of the Government taking appropriate decision.

With the above observations and directions, the special leave petitions are disposed of.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of."



5. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के स्तर से पत्रांक 35/एस०पी०एम०यू०/एन०आर० एच०एम०/आयुष/गाइड-लाइन/2014-15/3882, दिनांक 03.12.2014 द्वारा मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सक (पुरुष/महिला) का मानदेय 06 घंटे के कार्य सम्पादन के आधार पर देय है तथा संविदा आयुष चिकित्सक (पुरुष/महिला) को किसी भी प्रकार का भौतिक चार्ज नहीं दिये जाने एवं उनसे मेडिकोलीगल नहीं कराये जाने और उनकी ड्यूटी आकस्मिक/रात्रि कालीन सेवाओं में नहीं लगाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु पत्रांक एस०पी०एम०यू०/मा०स्वा०/मा०संसा०/105वॉ-4 /2018-19/7298, दिनांक 08.10.2018 द्वारा संविदा एम०बी०बी०एस० महिला चिकित्सकों को जिला महिला चिकित्सालयों पर 24 घण्टे नियमित सेवा के **EMO** उपलब्ध न होने पर संविदा एम०बी०बी०एस० महिला चिकित्साधिकारी को रोस्टर बनाकर **EMO** के रूप में पोस्ट किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
6. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की **ROP** में उत्तर प्रदेश के संविदा आयुष चिकित्सकों हेतु स्वीकृत प्रतिमाह अधिकतम मानदेय रू० 35,145 के सापेक्ष कुल 36 में से 26 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के संविदा आयुष चिकित्सकों हेतु प्रतिमाह स्वीकृत मानदेय के सापेक्ष कम/लगभग समान मानदेय स्वीकृत है यथा पश्चिम बंगाल- रू० 16,000, आंध्र प्रदेश- रू० 24,255, छत्तीसगढ़- रू० 25,000, महाराष्ट्र- रू० 25,044, झारखण्ड- रू० 26,626, तमिलनाडू- रू० 26,650, राजस्थान- रू० 26,893, गुजरात- रू० 28,978, केरला- रू० 30,888, हरियाणा रू० 32,341 तथा मध्य प्रदेश में रू० 36,565 है।
7. प्रार्थीगण द्वारा अपने अनुरोध के क्रम में उ०प्र० शासन का पत्र संख्या- 1818/71-आयुष-1-2012-डब्लू-32/2011 दिनांक-20.06.2012 द्वारा संविदा चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०) संविदा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद/यूनानी) की मासिक संविदा धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निर्गत आदेश का आलम्ब लिया गया है। उक्त शासनादेश नियमित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक के रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति किसी कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित पदों एवं मानदेय के सापेक्ष की जाती है जो राज्य के नियमित स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियां नहीं है।
8. असाधारण सरकारी गजट, उ०प्र०, विधायी परिशिष्ट एक खण्ड (क) (उ०प्र० अधिनियम) उ०प्र० शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या-1224/79-वि-1-15-1(क)18-2015 अधिसूचना दिनांक 09 सितम्बर 2015 के क्रम में जारी आयुष अनुभाग-1 उ०प्र० के शासनादेश संख्या-3223/71-आयुष-1-2015-वि०प०-8/2011 लखनऊ, दिनांक 09 अक्टूबर 2015 में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों द्वारा न किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-
- चिकित्सा विधिक प्रकरण (मेडिकोलीगल)।
 - शवच्छेदन (पोस्मार्टम)।
 - अन्तःशिरा सूची (आई०वी० इन्जेक्शन)।
 - शुद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी, शल्यकर्म यथा क्षारसूत्र से भिन्न शल्यकर्म।

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा आयुष चिकित्सको की नियुक्ति भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत पदों/निर्धारित मानदेय पर एक निश्चित अवधि के लिए व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार संविदा आयुष चिकित्सको एवं संविदा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की नियुक्ति/चयन हेतु निर्धारित योग्यताएं, कार्यक्षेत्र तथा कार्य एवं दायित्व समरूप नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांकित 20.08.2018 में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचार किया गया, विचारण के क्रम में संविदा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों एवं आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति/चयन हेतु निर्धारित योग्यताएं, कार्य एवं दायित्वों में समानता न होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा किया गया अनुरोध युक्तियुक्तता के आधार पर उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः अस्वीकार किया जाता है।

एतद्वारा प्रार्थीगण का प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2018 बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक-38/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/मानदेय वृद्धि/2018-19/ तददिनांक
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वा0 समिति, समस्त जनपद उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक एवं समस्त महाप्रबन्धक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, रा0स्वा0मि0 उ0प्र0 लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक एम0आई0एस0 को कार्यालय ज्ञाप रा0स्वा0मि0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को मा0 मंत्री महोदया के अवलोकनार्थ।
10. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, रा0स्वा0मि0 उ0प्र0।
11. डा0 राम सुरेश राय, पुत्र स्व0 श्री कपिल देव राय, निवासी-ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट खोरीपाकर, जनपद-बलिया उ0प्र0। (पंजीकृत डाक)
12. डा0 अमर नाथ शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्रीकान्त शर्मा, निवासी- श्रीराम आरोग्यालय, महावीर नगर, परिखारा, टीकमपुर जनपद-बलिया उ0प्र0। (पंजीकृत डाक)
13. डा0 कन्हैया लाल ओझा पुत्र श्री द्वारिका नाथ ओझा, निवासी-ग्राम ओझा के छपरा पोस्ट-टीकमपुर जनपद-बलिया उ0प्र0। (पंजीकृत डाक)

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक